

प्रथम अध्याय

श्री मालवीय जी से पूर्व व श्री मालवीय
जी के समय के भारत की स्थिति
(1764 ई० से 1946 ई० तक)

अ) श्री मालवीय जी से पूर्व का भारत (1764 ई० से
1861 ई० तक)

ब) श्री मालवीय जी से पूर्व का भारत (1861 ई० से
1946 ई० तक)

प्रथम अध्याय

श्री मालवीय जी से पूर्व व श्री मालवीय जी के समय के भारत की स्थिति (१७६४ से १९४६ ई० तक)

अ) श्री मालवीय जी से पूर्व का भारत (१७६४ से १८६१ तक):-

इस अध्याय में मालवीय जी के जन्म से पूर्व की भारत की स्थिति का वर्णन अग्र प्रकार किया है।

महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति:- इस समय में भारत में केन्द्रीय शक्ति व नियन्त्रण का अभाव था। 14 जनवरी 1761 को हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमदशाह अब्दाली ने मराठा शक्ति को कुचल दिया। इस युद्ध में मराठों की सेना की ओर से नाममात्र का सेनापति पेशवा का पुत्र विश्वास राव और वास्तविक सेनापति सदाशिव भाऊ था। तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी कर रहा था। युद्ध में विश्वास राव और सदाशिव भाऊ मारे गये। मराठों को अपार क्षति का सामना करना पड़ा। हार का समाचार पेशवा बालाजी बाजीराव को इस प्रकार मिला—'दो मोती गल गए, बाईस सोने की मुहरें खो गईं और चाँदी और ताँबे का तो अनुमान ही नहीं

लगाया जा सकता।¹ इस दुःखद समाचार को सुनकर पेशवा की पूना में मृत्यु हो गई। इसके पश्चात माधवराव नारायण राव प्रथम (1761–72 ई0) नारायण राव (1772–73 ई0) माधव नारायण राव द्वितीय (1774–95 ई0) ने पेशवा के पद को संभाला। माधव राव द्वितीय के द्वारा आत्महत्या करने के पश्चात् बाजीराव द्वितीय पेशवा बना। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से बेसीन की सन्धि की जिसके कारण पेशवा कम्पनी के प्रभुत्व में आ गया।² फलस्वरूप सन् 1803–05 तक प्रथम मराठा युद्ध हुआ जिसमें मराठे पराजित हुए। इसके पश्चात् 1818 ई0 में पेशवा का पद सदा के लिए समाप्त कर दिया गया।³ बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने रू0 आठ लाख प्रतिवर्ष वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया। 1851 ई0 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात् अंग्रेजों ने उसके पुत्र नाना साहेब को पेंशन देने से इंकार कर दिया। प्रतिशोध स्वरूप नाना साहेब ने 1857 ई0 के विद्रोह में सक्रिय हिस्सा लिया।

मैसूर की राजनीतिक स्थिति:— इस समय मैसूर के स्वतन्त्र शासक के रूप में हैदर अली स्थापित हो चुका था। हैदर अली अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहता था। उसने फ्रांसीसियों की सहायता से शस्त्रागार की स्थापना की। हैदर अली ने निजाम व मराठों के साथ त्रिपक्षीय संघ बनाने का प्रयास किया परन्तु वह दीर्घकालिक साबित न हो सका।⁴ प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी रहा। हैदर अली ने मद्रास को घेर लिया, परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने 4 अप्रैल 1769 को उससे तिरस्कारपूर्ण सन्धि कर ली।⁵ दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित प्रदेश लौटा दिये तथा दोनों दलों ने एक दूसरे को सहायता करने का वचन दिया अर्थात् अंग्रेजों को हैदर अली की सहायता का वचन देना पड़ा।⁶

माहे को अधिकार को लेकर द्वितीय आंग्ल मैसूर हुआ। इस युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गयी।⁷ 1784 में मंगलौर की सन्धि से इस युद्ध की समाप्ति हुई।⁸ युद्ध का दूसरा दौर अनिश्चित रहा।⁹

कार्नवालिस की विस्तारवादी नीति के कारण तीसरा मैसूर युद्ध हुआ।¹⁰ इस युद्ध में टीपू की पराजय हुई और दोनों के बीच श्रीरंगपट्टनम की सन्धि हुयी।¹¹ वेल्लेजली ने टीपू को सहायक सन्धि का प्रस्ताव भेजा जिसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया।¹² जिससे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की भूमिका तैयार हो गयी। 1799 ई0 में अंग्रेजों द्वारा श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया गया और मैसूर की स्वतन्त्रता समाप्त हो गयी।¹³ टीपू की मृत्यु हो गई और उसके परिवार के सदस्यों को वेल्लौर में कैद कर लिया गया।¹⁴ इस युद्ध के बाद वेल्लेजली ने कहा कि अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है।¹⁵

बंगाल की राजनीतिक स्थिति:— बंगाल में इस समय मीर कासिम नवाब था जो 1760 में अंग्रेजों के समर्थन से नवाब बना था।¹⁶ उसने तत्कालीन व्यवस्था को सुधारने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित कर मुंगेर कर दी। उसने राजस्व कृषकों की नियुक्ति की, सैनिकों की संख्या में वृद्धि की और भारतीय व्यापारियों पर से चुंगी हटा दी।¹⁷ इन सबसे अंग्रेज चिंतित हुए। मीर कासिम को अपदस्थ कर दिया गया। फलस्वरूप मीर कासिम ने अंग्रेजी विरोधी संगठन बनाया जिसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम शामिल हुए। सितम्बर 1764 को बक्सर में दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध हुआ।¹⁸ इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। बंगाल, बिहार व उड़ीसा पर कम्पनी का पूर्ण प्रभुत्व हो गया। कम्पनी ने मुगल बादशाह को रू0 26 लाख वार्षिक पेंशन

देना स्वीकार कर लिया। कम्पनी ने बंगाल की निजामत के बदले रू0 53 लाख वार्षिक बंगाल के नवाब को देना स्वीकार किया।¹⁹ 1772 तक बंगाल में ऐसी ही दोहरी सरकार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रशासन सीधे अपने हाथ में ले लिया।

अवध की राजनीतिक स्थिति:— 1772 में सआदतखां ने स्वायत्त अवध प्रान्त की नींव डाली।²⁰ इसी अवध का नवाब 1764 ई0 में शुजाउद्दौला था जिसे बक्सर के युद्ध के पश्चात् अंग्रेजों से शर्मनाक सन्धि करनी पड़ी। इलाहाबाद की सन्धि द्वारा कड़ा और इलाहाबाद और रू0 50 लाख युद्ध हर्जाने के रूप अंग्रेजों को देने पड़े। अवध का अन्तिम नवाब वाजिद अली शाह था जिसके समय में डलहौजी ने 1850 ई0 में अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया।²¹

पंजाब की राजनीतिक स्थिति:— पंजाब का इतिहास मुख्य रूप से रणजीत सिंह के साथ प्रारम्भ होता है। रणजीत सिंह का जन्म 2 नवम्बर 1780 ई0 को शुकूरचकिया मिसल में हुआ था।²² रणजीत सिंह ने 1796 ई0 शासन का दायित्व ग्रहण करने के पश्चात् 1799 में लाहौर पर तथा 1802 में अमृतसर पर अधिकार स्थापित कर लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया तथा अमृतसर मन्दिर के गुबंद पर सोना मढ़वाया। अप्रैल 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की सन्धि हुई, जिससे सतलज नदी के पूर्वी क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गये। रणजीत सिंह को शाहशूजा द्वारा कोहिनूर हीरा प्रदान किया गया।²³ रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात् क्रमशः खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह शासक बने।²⁴ अन्ततः 1849 में लार्ड डलहौजी द्वारा पंजाब का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया। दिलीप सिंह को

उसकी माता के साथ इंग्लैण्ड भेज दिया गया। जॉन लारेंस पंजाब का प्रथम चीफ कमिश्नर नियुक्त हुआ।²⁵

भूमि व्यवस्था:— तत्कालीन भारत में मुख्यतः तीन प्रकार की भूमि व्यवस्था प्रचलित थी—

अ. स्थायी

ब. महालवाड़ी

स. रैयतवाड़ी।

उस समय 3 प्रमुख प्रश्न थे—

1. जमींदार अथवा कृषक में से किसके साथ व्यवस्था की जाए
2. शासन का भूमि की उपज में क्या भाग होना चाहिए
3. क्या व्यवस्था कुछ वर्षों के लिए हो अथवा स्थायी।²⁶

स्थायी बन्दोबस्त: जॉन शोर ने 1789 ई0 में स्थायी बन्दोबस्त पद्धति की रूपरेखा सामने रखी। इसे गवर्नर—जनरल लॉर्ड कार्नवालिस, राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर तथा अभिलेख पाल जेम्स ग्राण्ट ने व्यापक विचार—विमर्श के बाद लागू किया। आरम्भ में यह दस वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ई0 में लागू किया गया था, जो 22 मार्च 179 ई0 को स्थायी बन्दोबस्त के रूप में स्थापित हुआ। 1793 ई0 में इसे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में लागू किया गया। कालान्तर में इसे उत्तर प्रदेश, बनारस खंड तथा उत्तरी कर्नाटक में भी लागू किया गया। यह व्यवस्था तत्कालीन

ब्रिटिश भारत की कुल भूमि के 19 प्रतिशत भाग पर लागू थी। जमींदारी व्यवस्था में 10/11 भाग या 89 प्रतिशत कंपनी को दिया जाता था, जबकि 1/11 भाग जमींदार अपने पास रख लेते थे।²⁷ जमींदारों को अपने क्षेत्र की जमीनों का स्वामित्व दे दिया गया। जमींदारों से लिया जाने वाला भूमि कर, स्थायी रूप से निर्धारित कर दिया गया। यदि किसी कारणवश जमींदार उक्त कर नहीं दे पाता था, तो उसकी जमींदारी समाप्त कर दी जाती थी। वह लगान की दर बढ़ा सकता था। वह जमीन को रेहन अथवा दान में भी दे सकता था। इस व्यवस्था से सरकार को एक निश्चित आय प्राप्त हुई, लगान वसूली पर समय और पैसा नहीं व्यय करना पड़ता था तथा एक सशक्त एवं समर्थक जमींदार वर्ग का निर्माण हुआ।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत सूर्यास्त कानून को लागू किया गया था, जिसमें यह व्यवस्था थी कि निश्चित दिन सूर्य अस्त होने तक लगान अवश्य जमा कर दिया जाए, ऐसा न करने पर जमींदार की जागीर जब्त कर उसकी नीलामी कर दी जाती थी। सरकार का किसान से कोई सीधा सम्पर्क नहीं था। जमींदार किसानों का आर्थिक शोषण करते थे।

महालवाड़ी व्यवस्था: महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ई0 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू की गई। इसे अधिनियम-7 भी कहा जाता है। यह जमींदारी प्रथा का ही एक संशोधित रूप थी। यह व्यवस्था गंगा के दोआब में, पश्चिमोत्तर प्रांत (उ0प्र0), मध्य भारत(मध्य प्रान्त) तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। महालवाड़ी व्यवस्था में

मालगुजारी का बन्दोबस्त अलग-अलग गांवों या जागीरों के आधार पर उन परिवारों के मुखिया के साथ किया गया, जो सामूहिक रूप से उस गांव या महाल के भू-स्वामी होने का दावा करते थे। ये भू-स्वामी लम्बरदार कहलाते थे। लम्बरदार पर अपने महाल से भू-राजस्व वसूलने का दायित्व था। कंपनी कुल उत्पादन का 85 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत तक भूमि कर के रूप में वसूलती थी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ब्रिटिश भारत की 30 प्रतिशत भूमि शामिल थी। 1833 ई० में विलियम बेंटिक ने अपने नौवें अधिनियम द्वारा कंपनी के लिए भू-कर 80 प्रतिशत निर्धारित कर दिया। इसी वर्ष पहली बार खेतों के मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। यह नई योजना मार्टिन बर्ड द्वारा लागू की गई, जिन्हो उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। यह बन्दोबस्त 30 वर्षों के लिए किया गया। बाद में रॉबर्ट मार्टिन बर्ड ने 66 प्रतिशत भाग कर के रूप में कंपनी के लिए निर्धारित किया।²⁸ मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नये क्षेत्रों में चले गये। राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर राजस्व कठोरता से वसूलते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गाँव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था।²⁹

महालवाड़ी पद्धति पश्चिमोत्तर प्रान्त के गवर्नर जेम्स टॉम्सन के समय तक सहजता से चली। इस व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि का स्वामित्व कंपनी के पास था जिससे भूमि बेची जा सकने, गिरवी रखी जाने और हस्तान्तरित की जा सकने वाली वस्तु बना दी गई।

रैयतवाड़ी व्यवस्था: 1792 ई० में मद्रास प्रेसीडेंसी के बारामहल जिले में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। कैप्टन रीड ने टॉमस मुनरो की सहायता से खेत की अनुमानित आय का लगभग आधा भाग भूमिकर के रूप में निश्चित किया। 1792 तथा 1808 ई० में यह पद्धति प्रायोगिक रूप में लागू की गई। 1820 ई० में टॉमस मुनरो तथा रीड की संस्तुतियों के आधार पर यह पद्धति मद्रास प्रेसीडेंसी में लागू की गई। 1820 ई० में ही इसे कर्नाटक और दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया गया। इस पद्धति के अन्तर्गत कंपनी सीधे किसानों से 33 प्रतिशत भू-राजस्व वसूलती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में कृषकों को ही भूमि का स्वामी माना गया। बशर्ते वह भू-राजस्व चुकाता रहे। इस प्रकार कृषक वास्तव में भू-स्वामी न होकर बटाईदार मात्र थे। एलफिंस्टन तथा चैपलिन की रिपोर्ट के आधार पर बम्बई में रैयतवाड़ी पद्धति लागू की गई। यहाँ भू-राजस्व की दर 55 प्रतिशत थी। एलफिंस्टन बम्बई के गवर्नर थे। 1835 ई० में बम्बई में विगनेट के सर्वेक्षण के आधार पर भू-राजस्व लागू हुआ। विगनेट भूमि सर्वेक्षण अधीक्षक था। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ब्रिटिश भारत का 51 प्रतिशत भाग शामिल था।³⁰

इस व्यवस्था की सबसे दुःखद बात यह रही कि लगान वसूलने वाले अधिकारी लगान वसूल करने में क्रूर और अमानवीय उपायों का सहारा लिया करते थे। रैयतो को उनका उत्पाद पूर्णतः या अंशतः नष्ट हो जाने पर भी कर देना पड़ता था।³¹

कम्पनी के व्यापारी तथा अधिकारी भारत में व्यापार के लिए ही आए थे तथा उसका स्पष्ट उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था।³²

आर्थिक व्यवस्था:- ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति भारतीय जनमानस के लिए विनाशकारी साबित हुई। भारतीय जहाजों को रोककर केवल ब्रिटिश जहाजों को व्यापार में प्रयोग करने के ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले से भारतीय जहाजरानी उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। भारतवासियों के हथियार रखने व उनके प्रयोग करने की निषेधाज्ञा से इस उद्योग को नुकसान पहुँचा। भारत में लोहा गलाने के उद्योगों को भी नुकसान पहुँचा। भारत में प्रयोग में लाने के लिए केवल ब्रिटेन में बने कागज को खरीदने की ब्रिटिश नीति से भारतीय कागज उद्योग पर आघात हुआ।

उद्योग का ढाँचा इस प्रकार था कि इसकी आगे की उन्नति ब्रिटेन पर निर्भर करती थी। भारी पूँजी के सामान और रसायन उद्योगों के बिना शीघ्र और स्वावलम्बी औद्योगिक उन्नति नहीं हो सकती थी।

मशीनी औजार और इंजीनियरिंग तथा धातु-शोधन सम्बन्धी उद्योग बिल्कुल नहीं थे। देश में किसी प्रकार का शिल्प कला सम्बन्धी अनुसन्धान नहीं होता था। सिंचाई और बिजली की सुविधाएँ कहीं अधिक और कहीं कम थीं। उद्योग का विस्तार अत्यन्त असन्तुलित था और वे देश के कुछ भागों और नगरों में ही केन्द्रित थे।³³

ब्रिटिश सरकार ने केवल ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए भारतीय शिल्पकारी और उद्योग को शनैः शनैः विनाश के पथ पर अग्रसर कर दिया। ब्रिटिश भारत को कच्चा माल का उत्पादक देश और निर्मित माल की सबसे बड़ी औपनिवेशिक मण्डी बनाना चाहते थे। उनके द्वारा निर्मित कानूनों से यह सम्भव नहीं हो सका। ब्रिटेन से भारत में अच्छा और सस्ता निर्मित माल बहुत अधिक मात्रा में आ गया जिससे भारतीय उद्योग-धन्धे और शिल्पकारी नष्ट हो गईं।

भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना और उसकी आर्थिक नीति का प्रभाव कृषि के वाणिज्यीकरण के रूप में हुआ। वाणिज्यीकरण के कारण कृषि उत्पाद केवल खाद्य पदार्थों तक ही सीमित नहीं रह गया। वह बाजार के लिए भी उत्पादित होने लगा। अनाज के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा। इस प्रकार कृषि के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुए।³⁴

भारत का धन इंग्लैण्ड को चला जाता था। प्रत्येक वर्ष भारत इंग्लैण्ड को 16 लाख रू० गृह-प्रभार के रूप में देता था जिसमें कर्ज पर ब्याज, सिविल शासन का खर्च, सेना, स्टोर, रेलवे आदि का खर्च शामिल होता था। यह अनुमान लगाया गया कि 1895-96 में भारत ने इंग्लैण्ड को 50 करोड़ रू० से अधिक भेजे। भारत में ब्रिटिश और यूरोपीय अफसरों के वेतन का एक भाग बाहर भेजना पड़ता था। यूरोपीय और अंग्रज व्यापारी, धनी लोग, बगीचों, जहाजों और सोने की खानों के मालिकों आदि को भी प्रत्येक वर्ष बड़ी राशि बाहर भेजनी पड़ती थी।

दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक **Poverty and Un-British Rule in India** में भारतीय धन निर्गम का बहुत अच्छा वर्णन किया है। उनका विचार था कि दूसरे कारणों को छोड़कर भारतीय धन का निर्गम भारत की वास्तविक गरीबी और दःख का कारण था। उनका विचार था कि इससे दूसरों के स्वार्थ के लिए भारत में विदेशी पूँजी का प्रवेश हुआ। भारतीय धन निर्गम से विदेशी पूँजीपतियों का देश में आगमन हुआ, उन्होंने बिना किसी स्वदेशी मुकाबले के भारत में पूँजी को एकत्र होने से रोका और भारत के भैतिक साधनों से लाभ उठाकर उन पर एकाधिकार कर लिया। दादाभाई का यहाँ तक कहना था कि धन निर्गम की सारी बुराई का कारण भारतीय शासन में अंग्रेजों द्वारा बहुत ज्यादा नौकर रखना था।

उन्होंने बताया कि यद्यपि मुगलों और मराठों ने भारतीय जनता को लूटा, परन्तु उसका धन देश में ही रहा और यहीं खर्च किया गया। अंग्रेजी शासन में अंग्रेज धन देश के बाहर ले गए और वहाँ जाकर खर्च किया। दादाभाई नौरोजी के मतानुसार, "भारत की व्यवस्था अत्यधिक बुरी है, उसकी अवस्था स्वामी और दास की ही नहीं उससे भी बुरी है। यह तो उन लुटेरों के हाथों में लूटे जाने वाले देश की अवस्था में है, जो हाथ पैर मारकर, सब—कुछ लूट रहे हैं।"³⁵

सन् 1900 में श्री मैकलीन्स ने हाउस ऑफ कामन्स में घोषणा की—“भारत की समस्त आय के साधन इस देश को गिरवी रख दिए गए हैं।” ब्रिटिश सूती माल के आयात पर से कर समाप्त

कर दिया गया था। यद्यपि इससे भारतीय राजकोष को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रूपयों की हानि होती थी। बाद में जब इंग्लैण्ड में बने सूती माल पर 5 प्रतिशत कर लगाया गया तो इतना ही कर भारत में बने सूती माल पर लगाया गया। दादाभाई नौरोजी ने कहा था कि भारत और इंग्लैण्ड के बीच मुक्त व्यापार एक घोड़े पर चढ़े शक्तिशाली मनुष्य और एक भूखे, थके हुए अपंग व्यक्ति के बीच दौड़ के समान था। भारत पर लादी गयी मुक्त व्यापार की नीति एकतरफा थी। 1824 में भारतीय कपड़ों पर 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक कर लगाया गया। भारतीय चीनी पर उनके क्रय का तीन गुना कर दिया गया। ब्रिटेन में कुछ वस्तुओं पर 40 प्रतिशत तक कर था। इन वस्तुओं पर आयात कर उस समय हटाया गया जब उनका ब्रिटेन को निर्यात बन्द कर दिया गया।

किसानों की स्थिति बिगड़ती चली गयी और निर्धनता, पिछड़ापन तथा अल्पविकसित अर्थव्यवस्था अंग्रेजी साम्राज्य की मुख्य देन थी।³⁶ भारत अपने यहाँ बने माल के ले जाने और लाने पर कर लगाता जबकि विदेशी माल पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। 1891 ई० में पंजाब निवासी लाला मुरलीधर ने कहा, "ये लैम्प, यूरोपियों द्वारा बनी कुर्सियों और मेजें और चुस्त पोशाकें और हैट, अंग्रेजी कोट, बोनेट और फ्रॉक और चाँदी से मढ़े हुए बेंत और आपके घरों में ऐश-आराम की वस्तुएँ सभी भारत की भुखमरी और गरीबी की यादगारें हैं।"

1813 के पश्चात् धन का निष्कासन निम्न रूपों में हुआ : गृह व्यय के रूप में भारत राज्य सचिव तथा कार्यालय पर व्यय, ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों को लाभांश, विदेशों से लिए गए

सार्वजनिक ऋण, सैनिक असैनिक व्यय, इंग्लैण्ड में भंडार वस्तुओं की खरीद, विदेशी बैंक, इंश्योरेंस, नौवहीन कंपनियाँ। आर० सी० दत्त ने कहा, 'सूरज पानी भारत से ग्रहण करता है, वर्षा केवल इंग्लैण्ड को देता है।' 1859 ई० में जॉर्ज विग्नेट ने लगभग 42 लाख पौंड प्रतिवर्ष धन निकास का अनुमान लगाया था।³⁷

रेल व्यवस्था:- भारत में रेल निर्माण में अत्यधिक धन की बरबादी की जनता ने बड़ी निन्दा की। अधिकतर रेलें बिना किसी मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए सैनिक महत्व के कार्यों के लिए बनाई गईं। बड़ी धनराशि उधार लेकर उसको भारत में फिजूल खर्च किया गया। विलियम मेसी के अनुसार, "ईस्ट इण्डिया रेलवे पर जितना खर्च होना चाहिए था उसके दुगने से अधिक हुआ, बड़ी-बड़ी धनराशि बेकार खर्च की गई और इकेदारों ने किसी प्रकार की मितव्ययिता का ध्यान नहीं रखा। जब तक उन्हें भारत की आय का 5 प्रतिशत मिलता रहा—सारा धन अंग्रेज पूंजीपतियों ने दिया, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका दिया धन हुगली में फें दिया जाता था, उससे ईट और चूना खरीदा जाता था।" लॉर्ड लॉरेन्स का मत था, "मेरे विचार में भारत के प्रत्येक वर्ग में यह बात प्रचलित है कि रेलों पर बहुत ज्यादा फिजूलखर्ची हुई है, जितना खर्च होना चाहिए था उससे कहीं अधिक हुआ है।" अनेक सैनिक महत्व की रैलों के बनने से जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। ये सम्पूर्ण धन अंग्रेज पूंजीपतियों द्वारा लगाया गया था, इसका सारा लाभ भी उन्होंने उठाया। केवल 1897-95 में 5,75,000 पौण्ड की धनराशि ले जाई गई। पूँजी पर ब्याज, इंग्लैण्ड में स्टॉक की खरीद

एवं यूरोपियों को ज्यादा वेतन के रूप में रेलों से भारतीय धन का निर्गम हुआ। 1897 में रेल सेवा में लगे यूरोपियों को 80 लाख से अधिक वेतन दिया गया जबकि 2,07,047 भारतीय कर्मचारियों को उस राशि का 1/5 भाग भी नहीं मिला। 1900 ई० तक रेलवे के निर्माण में 22.5 करोड़ पौण्ड तक का खर्च आ गया, उसके आधार पर लगभग 4 करोड़ पौण्ड का नुकसान हो गया।³⁸ वह नुकसान भारतीयों से ही वसूल किया गया। अब कृषकों को केवल कर का भार ही वहिन नहीं करना पड़ा अपितु वाणिज्यिक खेती भी करनी पड़ी। फलस्वरूप अन्न का व्यापार तो बढ़ा, लेकिन कृषक की स्थिति दयनीय हो गई।

शिक्षा व्यवस्था:— इस काल में शिक्षा के बारे में चर्चा करें तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन अपने स्वार्थवश ही दिया, परन्तु इससे भारतीयों को लाभ ही हुआ। अंग्रेजी पढ़े-लिखें व्यक्ति संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठकर सोच सकते थे। पाश्चात्य जगत् सामन्तवाद, धर्मयुद्ध की बुराइयों का परित्यागकर अब साम्यवाद, व्यक्तिगत एवं वैचारिक स्वतंत्रता, समानता, विश्व बन्धुत्व की भावना से प्रेरित हो रहा था। उसको देखकर उदार एवं प्रबुद्ध चिन्तक भी इन्हें करने की चाह करने लगे।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1758—1812 ई० के काल में शिक्षा के क्षेत्र में कम रुचि दिखायी। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा स्थापित किया जिसमें फारसी व अरबी का अध्ययन किया जाता था³⁹ तथा 1792 ई० में हिन्दू कानून तथा दर्शन के अध्ययन के लिए जॉनथन डंकन द्वारा वाराणसी में संस्कृत

महाविद्यालय की स्थापना की गई। जनवरी 1784 में सर विलियम जोन्स एवं तीस अन्य सदस्यों द्वारा एशियाटिक सोसायटी की स्थापना की गई।⁴⁰ जो कि एशियाटिक अध्ययन की अन्य शाखाओं से सम्बन्धित थी। इंग्लैण्ड एवं पश्चिम में भारत से सम्बन्धित विभिन्न विषयों के अध्ययन के प्रसार का श्रेय एशियाटिक सोसायटी को दिया जाता है। 1800 ई0 में लॉर्ड वैलेजली ने कम्पनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की।⁴¹

1813 ई0 के एक्ट में पहली बार आधुनिक भारत के शिक्षा के इतिहास में कम्पनी सरकार ने भारत में शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार के लिए एक लाख रूपये का प्रावधान किया। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यह कहा गया कि इस धन का व्यय भारतीय विद्वानों एवं शिक्षा साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिये तथा विज्ञान के विकास के लिये किया जायेगा। किन्तु व्यावहारिक रूप से इस धन का व्यय नहीं हो सका क्योंकि अंग्रेज प्रशासन आंग्ल-प्राच्य विवाद में फंस गये। यह भारतीय शिक्षा-सम्बन्धी नीति निर्धारण से सम्बन्धित प्रश्न था जिसमें दो प्रकार के दल बन गए थे-एक प्राच्यवादी तथा दूसरा पाश्चात्यवादी अथवा आंग्ल दल। प्राच्यवादियों का मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाए तथा पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में किया जाए। इसके समर्थक विल्सन और एच0टी0 प्रिन्सेप थे। दूसरी विचारधारा पाश्चात्यवादी थी जिसके समर्थक मुनरो और एलफिंस्टन थे तथा मैकाले इसका जबरदस्त समर्थक था। इस विचारधारा के अनुसार अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए। इस

विवाद का अन्त इस रूप में हुआ कि विलियम बेंटिक की सरकार ने मार्च 1835 के प्रस्ताव में दूसरी विचारधारा का दृष्टिकोण अपना लिया और भविष्य में कम्पनी की सरकार यूरोप साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करने का प्रयत्न करें और सभी धन-राशियाँ इसी निमित्त दी जानी चाहिए, ऐसा आदेश दिया।⁴² इसके बाद सन् 1854 में चार्ल्सवुड के डिस्पैच ने भारतीय शिक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से सुझाव भेजे। इसे प्रायः भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।⁴³ इस वुड डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें निम्नवत् थी—

1. लन्दन विश्वविद्यालय के समकक्ष कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय खोलें जाये।
2. शिक्षा का माध्यम— उच्च शिक्षा के लिए सबसे उत्तम माध्यम अंग्रेजी हो परन्तु इसमें देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया गया था, क्योंकि ऐसा समझा गया कि यूरोपीय ज्ञान देशी भाषाओं द्वारा ही जनसाधारण तक पहुँच पाएगा।
3. स्त्री शिक्षा का विस्तार किये जाने के प्रयत्न किये जाएँ।
4. व्यावसायिक शिक्षा में वृद्धि के लिए अलग से स्कूल और कॉलेज खोले जाएँ।
5. अध्यापको की शिक्षा के लिए अलग से ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएँ।
6. व्यक्तिगत प्रयत्नों से स्कूल और कॉलेज स्थापित किये जाने को प्रोत्साहन दिया जाए।
7. गाँवों में देशी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएँ स्थापित की जाएँ।

8. कम्पनी के पाँचों प्रान्तों में एक-एक निदेशक के अधीन लोक-शिक्षा विभाग स्थापित किया गया जो कार्य की उननति पर दृष्टि रखें और सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजें।

चार्ल्स वुड के पत्र की सभी सिफारिशें लागू कर दी गईं। तीनों विश्वविद्यालय मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास 1857 में अस्तित्व में आ गए। पुरानी शिक्षा परिषद् ओर लोक शिक्षा समिति के स्थान पर 1855 में लोक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया।

सुधार आन्दोलन:- राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति के रूप में 19वीं शताब्दी में सुधार आन्दोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन सुधार आन्दोलन की विशेषताओं को अग्र प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है। आधुनिक समाज के सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलन की एक खास विशेषता इनका बुद्धिवादी चरित्र है। यद्यपि ये सुधारक यदा-कदा आस्था और प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेते हुए भी दिखाई देते हैं, किन्तु उनके इस प्रकार के आचरण का कारण नये सुधारों के प्रति समाज का समर्थन प्राप्त करना एवं अपनी सुधारवादी बातों को प्रमाणित करना होता था। इसी का परिणाम है कि सामाजिक-धार्मिक सुधारकों ने धर्मों के कर्मकाण्डी, अन्धविश्वासी और पुरानपंथी विचारों का विरोध किया और बुद्धिविरोधी कठमुल्लेपन से लोगों को मुक्ति दिलाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की। उनमें से कई ने धर्म को अंतिम सत्य मानने से इंकार कर दिया।⁴⁴

19वीं शताब्दी के सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलनों के प्रमुख विशेषता इनका मानवतावादी दृष्टिकोण⁴⁵ था। इन समाज सुधारकों ने प्रत्येक उस बात का विरोध किया जो मानव के कल्याण अथवा समानता के विरोधी थी। उदाहरण के लिए— पुरोहितवाद और कर्मकाण्डों का

विरोध⁴⁶ इसलिए किया क्योंकि यह समाज को ऊंच-नीच एवं वर्ण व्यवस्था (ब्राह्मण-शूद्र आदि) में विभक्त करते थे। इसी प्रकार इस पुरानपंथी व अवैज्ञानिक व्यवस्था ने कुछ जातियों को अछूतों की श्रेणी में रखकर छुआछूत और जातिप्रथा को प्रचलित किया हुआ था, जो स्पष्टतया मानव कल्याण एवं समानता का विरोधी था। इसी प्रकार समाज को स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा दोगुना दर्जा प्राप्त था एवं सतीप्रथा, बाल-विवाह इत्यादि कुप्रथाएं प्रचलित थी, विधवाओं की स्थिति शोचनीय थी एवं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अतः सामाजिक-धार्मिक सुधारकों ने अपने मानवतावादी दृष्टिकोण के परिपेक्ष्य में इन सभी अमानवीय रीतिओं-प्रथाओं का पुरजोर विरोध किया। यद्यपि सतही तौर पर विभिन्न धर्मसुधारकों ने अपने-अपने धर्म में परिवर्तन लाने को प्रयास किया, किन्तु समग्र तौर पर इसका प्रायः सम्पूर्ण समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। धर्मसुधारकों का व्यापक दृष्टिकोण सर्वव्यापकतावादी एवं धर्मनिरपेक्ष था। राजा राममोहन राय एवं सैयद अहमद ने अपने-अपने शब्दों एवं धर्मों में एक ही धर्म एवं एक ही ईश्वर की बात का स्वीकारा।

इन सुधारों के एक सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि ये उदारवादी थे। सुधारकों ने परिवर्तन लाने का हरसम्भव प्रयास किया, किन्तु उन्होंने इन सुधारों को क्रान्ति का रूप नहीं दिया और न ही विरोध के हथियार के लिए किसी प्रकार के खूनी संघर्ष को माध्यम बनाया।

चूंकि इन सुधार आन्दोलनों के प्रारम्भ होने का एक कारण भारतीयों का पाश्चात्य जगत में हुई बौद्धिक एवं वैज्ञानिक प्रगति के सम्पर्क में आना⁴⁷ था, अतः यह कारण इन सुधारों की विशेषता के रूप में भी परिलक्षित हुआ। इतना होते हुए भी उन्होंने पश्चिमी शिक्षा एवं ज्ञान-विज्ञान

का अंधविरोध नहीं किया एवं भारतीय संस्कृति व विचार परंपरा के औपनिवेशीकरण के खिलाफ एक विचारधारात्मक आंदोलन चलाया⁴⁸

इस आन्दोलन की कुछ सीमाएं भी थी। ये आन्दोलन मुख्यतया कुछ वर्ग तक सीमित रहे। यह वर्ग नगरीय उच्च एवं मध्यम वर्ग था। सामाजिक-धार्मिक सुधार आन्दोलन ने साधारण जनता, बहुसंख्यक किसानों एवं नगरों की गरीब जनता तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया। इनका ध्यानाकर्षण केन्द्र प्रायः परंपरागत रीति रिवाज रहे।⁴⁹

इस आन्दोलन ने पश्चिमी संस्कृति एवं वैज्ञानिकता से प्रभावित⁵⁰ होने के कारण भारतीय प्राचीन तथा वर्तमान ज्ञान के महत्व को अनदेखा किया। परिणामतः भारतीय मेधा एवं ज्ञान-विज्ञान के माध्यम से आधुनिकीकरण के मार्ग प्रशस्त न हो सके। साथ ही पश्चिमी संस्कृति एवं वैज्ञानिकता को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह तत्कालीन कतिपय सुधारवादी मानसिकता के प्रतिकूल था कि विदेशी विचारों को देशी विचारों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाए। इसके अतिरिक्त ये सुधारक मध्यकाल को पतन का कारण मानते थे तथा अतीत अर्थात् प्राचीनकाल का गुणगान करते थे। किन्तु इसकी हानि यह हुई कि इसने साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया एवं उन लोगों को इन आन्दोलन से दूर रखा जो अतीत की घृणित परंपराओं के शिकार थे, क्योंकि जातिप्रथा आदि कुरीतियों का जन्म प्राचीन काल में हुआ था, न कि मध्य काल में।

इन आन्दोलन की कुछ उपलब्धियां भी हैं, जो बहुत विस्तृत नहीं हैं अपितु सीमित हैं—

1. भारतीय दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन पश्चिमी शिक्षा एवं संस्कृति के सम्पर्क में आने से हुआ। भारतीय भविष्य को एक नई दिशा भी प्राप्त हुई।

2. भारतीय जड़ता को समाप्त करना एवं बहुमुखी प्रतिभा का संदेश दिया।
3. चिंतन की धारा और दृष्टिकोण में परिवर्तन भी इन आन्दोलनों की देन है।⁵¹
4. विभिन्न सामाजिक-धार्मिक कुरीतियों के अन्त का प्रयास किया गया।
5. समानता एवं मानवतावादी मूल्यों की स्थापना करने की सु-चेष्टा की गयी।
6. भारत का विश्व से अलगाव का दौर समाप्त हुआ
7. भारतीयों का विश्वस्तरीय गतिविधियों में प्रतिभाग करना प्रारम्भ हुआ। विवेकानन्द ने विश्वधर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया।
8. धार्मिक विविधता वाले देश में राष्ट्रवाद की भावना बलवती हुई।

धार्मिक-सामाजिक सुधार के प्रारम्भिक युग की प्रमुख संस्था ब्रह्म समाज थी जिसकी स्थापना सन् 1828 ई0 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। ब्रह्म समाज ने तत्कालीन रूढ़िवादिता का विरोध किया। यह समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता था तथा ऐकेश्वरवाद में विश्वास रखता था। राजा राममोहन राय को "आधुनिक भारत के जन्मदाता" की उपाधि से सुशोभित किया गया है।⁵² इनके द्वारा सन् 1809 ई0 में 'तुहफतुल मुआहिदिन' अर्थात् 'ऐकेश्वरवाद में विश्वास' फारसी में प्रकाशित किया गया।⁵³ ऐकेश्वरवाद को बढ़ावा देने एवं हिन्दू धर्म के बुरे रिवाजों एवं प्रथाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए 1815 ई0 में कलकत्ता में राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की।⁵⁴ इसके अतिरिक्त

राममोहन राय ने 1816 ई० में कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा के लिए हिन्दू कॉलेज की स्थापना की। हिन्दू कॉलेज की स्थापना में राधाकांत देव व डेविड हायर ने मुख्य भूमिका निभायी। अलेक्जेंडर डफ उनके मुख्य सहयोगी थी। उन्होंने उपनिषदों को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1820 में उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना की। 1821 में उन्होंने 'संवाद कौमुदी-अंग्रेजी में' व 1822 में 'मिरातुल अखबार-फारसी में' प्रकाशित किया। 1829 में कलकत्ता में 'बंगदूत' नामक समाचार पत्र निकाले।⁵⁵

राममोहन राय ने सामाजिक कुरीतियों में भी सुधार का प्रयास किया। उन्होंने सतीप्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। परिणामस्वरूप 1829 में विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा निषेध कानून पारित कर दिया गया। उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। बहुपत्नी प्रथा, विधवा स्त्रियों की अमानवीय दशा के विरुद्ध आवाज उठायी।⁵⁶ उन्होंने पूर्व एवं पश्चिम के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की। 1833 में उनकी इंग्लैण्ड में मृत्यु हो गयी थी⁵⁷ एवं ब्रह्म समाज में शिथिलता आ गई। श्री देवेन्द्रनाथ टैगोर को ब्रह्म समाज में नया जीवन लाने का श्रेय जाता है।⁵⁸ वे इस आन्दोलन में सन् 1843 में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म समाज के अवलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित्त करने से रोका। उन्होंने केशवचन्द्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया।⁵⁹ देवेन्द्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की तथा तत्वबोधिनी नामक बंगाली मासिक पत्रिका निकाली। ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरेजियो और अक्षय कुमार दत्त तत्वबोधिनी सभी के मुख्य सदस्य थे।

वर्ष 1865 में देवेन्द्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज के एकमात्र प्रन्यासी के रूप में केशवचन्द्र सेन को आचार्य की पदवी से निकाल दिया।⁶⁰ केशवचन्द्र सेन ने एक नवीन ब्रह्म समाज का गठन किया जिसे 'आदि ब्रह्म समाज' या 'भारत का ब्रह्म समाज' का नाम दिया गया।⁶¹ उन्होंने 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने इंडियन मिरर नामक पत्रिका का प्रकाशन भी आरंभ किया। केशवचन्द्र सेन ने इंडियन नेटिव मेरिज एक्ट पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उनके प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह को कानूनी बना दिया गया, जिसके द्वारा वर की उम्र 18 वर्ष तथा वधू की आयु 14 वर्ष न्यूनतम निर्धारित की गयी।⁶² 1878 में सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से पूर्ण वैदिक कर्मकाण्डी रिवाजों से सम्पन्न करा दिया।⁶³

इससे असंतुष्ट होकर सेन के अधिकतर अनुनायियों ने जिनमें आनन्द मोहन बोस तथा शिवनाथ शास्त्री प्रमुख थे, नया ब्रह्म समाज बनाया जिसे 'साधारण ब्रह्म समाज' के नाम से जाना जाता है।⁶⁴ विपिन चन्द्र पाल, द्वारका नाथ गांगुली एवं सुरेन्द्रनाथ बनर्जी इसके प्रमुख सदस्य थे। साधारण ब्रह्म समाज स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। इसने कई अनाथालयों की स्थापना की। इस संस्था ने तत्व कौमुदी, ब्रह्म पब्लिक ओपिनियन एवं इंडियन मैसेंजर नामक पत्रिका निकाली।

तत्कालीन भारत के समाज सुधारकों और शिक्षाविदों में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का स्थान प्रमुख व्यक्तियों में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का प्रमुख स्थान है। वे संस्कृत भाषा के विद्वान थे और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए तथा संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मणों का भी प्रवेश दिया। इसके अतिरिक्त शिक्षा के विस्तार के लिए उन्होंने एक कॉलेज और अनेक विद्यालय खुलवाये। इतना होने पर भी वे

पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता और संस्कृति को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखते थे। महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए इनके प्रयासस्वरूप 1849 ई0 में कलकत्ता में एक बैथुन विद्यालय की स्थापना हुई।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बंगाल में बुद्धिजीवी वर्ग ने उग्रवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया। इन्हीं में से एक आन्दोलन 'यंग बंग आन्दोलन' था जो एक युवा नेता हेनरी विवियन डेरोजियो की प्रेरणा से प्रारम्भ हुआ था। वे हिन्दू कॉलेज में प्राध्यापक थे और आत्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए उन्होंने 'एकेडमिक एसोसिएशन' तथा 'सोसाइटी फॉर द एक्वीजीशन ऑफ जनरल नॉलेज' जैसे संगठनों की स्थापना की। उन्होंने 'एंग्लो इण्डियन हिन्दू एसोसिएशन', 'बंगहित सभा', तथा 'डिबेटिंग क्लब' आदि का गठन किया।⁶⁵ इन संगठनों में देश और समाज के उपयोगी प्रायः सभी प्रश्नों पर विचार किया जाता था। डेरोजियो के समर्थक आधुनिक पाश्चात्य विचारों से प्रभावित थे।

इस काल में अपनी स्वतन्त्रता खो जाने पर स्वशासन में विदेशी हस्तक्षेप, प्रशासनिक परिवर्तनों का आना, अत्यधिक करों की मांग, अर्थव्यवस्था का भंग होना इन सब से भारत के भिन्न-भिन्न भागों में भिन्न-भिन्न समय पर विभिन्न प्रतिक्रियाएँ अव्यवस्था के रूप में परिलक्षित हुईं।

पश्चिमी भारत में भील विद्रोह, कोलों का विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, बधेरा का विद्रोह, रमोसी विद्रोह, सूरत का नमक विद्रोह प्रमुख हैं। पूर्वी भारत में पागलपन्थी विद्रोह, खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, चुआर तथा सन्याली विद्रोह प्रमुख थे।

दक्षिण भारत के विद्रोह में विजयनगर के राजा का विद्रोह, दीवान वेला टम्पी का विद्रोह प्रमुख थे।

1857 का विद्रोह:— पूर्व में भी छोटे पैमाने पर देश के विभिन्न भागों में छिटपुट विद्रोह होते रहे थे । 1857 ई0 की क्रान्ति एक आकस्मिक घटना थी जिसका आरम्भ एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था। सर जान सीले के अनुसार 1857 को विद्रोह “एक पूर्णतया देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था।⁶⁶ इसके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सैनिक जैसे अनेक कारण थे।

राजनीतिक कारणों का प्रमुख आधार था, उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति जिसके द्वारा उसने विजय तथा पुत्र-गोद लेने के निषेध द्वारा देशी राज्यों को हड़पने का कुचक्र चलाया और भारतीय राजपरिवारों में घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया। इसके अतिरिक्त उस समय कुछ ब्रिटिश पदाधिकारियों ने अपने वक्तव्यों के द्वारा देशी नरेशों को आतंकित करने और आशंकित करने का कार्य किया। चार्ल्स नैपियर ने एक बार कहा था, “यदि मैं बारह वर्ष तक भारत का सम्राट होता तो किसी भी भारतीय नरेश का अस्तित्व न रह पाता। निजाम का नामो-निशान न रह जायगा और नेपाल हमारा हो जायगा।⁶⁷ अंग्रेजों ने मुगल सम्राट के साथ दुर्व्यवहार किया, लक्ष्मी बाई और नाना साहेब के दत्तक पुत्रों का राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया, पेंशन से वंचित कर दिया, अवध के नवाब व बेगमों के साथ दुर्व्यवहार किया, कर मुक्त भूमि का अपहरण कर लिया तथा जमींदारों के साथ अत्याचारपूर्ण व्यवहार किया। देशी राज्यों के ध्वस्त होने के कारण उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं और इन लगभग 60,000 जीविकाहीन सैनिकों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया।

आर्थिक कारणों में मुख्य कारण धन का बाह्य गमन तथा भारत के व्यापार तथा उद्योगों का बुरी स्थिति थी। अंग्रेजों ने भारत को कभी अपना स्थायी निवास नहीं माना और यहाँ से द्रव्योपार्जन करके धन का विदेशान्तरण किया। इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति की अत्यधिक सफलता के कारण अंग्रेजों ने भारत का उपयोग अपने बाजार व कच्चे माल की आपूर्ति के लिए किया।⁶⁸ इसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग-धन्धें पूर्णतया ध्वस्त हो गये। कुलकर्णी महोदय के शब्दों में, "सम्भवतः ब्रिटेन ने भारत की सबसे बड़ी कुसेवा की, वह यह थी कि उसने उसके घरेलू उद्योग-धन्धों और दस्तकारी को विध्वंस कर दिया, जिसने शताब्दियों तक उसके राष्ट्रीय राजस्व में स्थिरता उत्पन्न कर दी थी।" इसके अतिरिक्त अनेक उपायों द्वारा भारतीयों की भूमि का अपहरण कर दिया गया। इन सबके परिणामस्वरूप बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गयी और अंग्रेजों के विरुद्ध असन्तोष और घृणा का प्रकोप चारों ओर फैल गया।

मेलकन लेविन ने एक स्वीकारोक्ति में लिखा है कि हमने भारतीयों को उन सभी चीजों से वंचित कर दिया है जो उन्हें समाज में ऊँचा उठा सकती हैं और जो मनुष्य के रूप में उनकी उन्नति कर सकती हैं। इसी वाक्य से स्पष्ट है कि किस प्रकार की तत्कालीन परिस्थितियाँ रही होंगी और यहीं परिस्थितियाँ कुछ हद तक क्रान्ति के लिए जिम्मेदार रही होंगी। इसके साथ ही अंग्रेजों द्वारा अपनी सभ्यता, भाषा व अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने का प्रयास किया गया जिससे भारतीयों में असन्तोष की भावना उत्पन्न हुई।

अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ईसाई धर्म प्रचारकों की सहायता ली गई और मिशनरियों की उद्दण्डता व अहंकारीपन भी बढ़ता गया। उनके द्वारा गोद-प्रथा का निषेध किया गया,

सम्पत्ति सम्बन्धी उत्तराधिकार के नियम में परिवर्तन इस प्रकार किया गया कि जो हिन्दू धर्म त्याग कर ईसाई बन जाते थे, उन्हें सुविधा देने के लिए उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम में परिवर्तन कर दिया जाता था। ईसाई धर्म स्वीकार करने पर उनके सुविधाएँ प्रदान की जाती थी। इन धार्मिक कारणों के अतिरिक्त कुछ सैनिक कारण थे जिन्होंने क्रान्ति में सहयोग दिया। जैसे— भारतीय सैनिकों की विशाल संख्या जिसने विद्रोह की अग्नि को प्रज्वलित कर दिया, वेतन भत्ता, तरक्की में भारतीयों व अंग्रेजों के बीच भेद किया जाता था, भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके आत्म-सम्मान पर कुठाराघात किया जाता था।

इन सब के अतिरिक्त उन दिनों सरकार ने 'रायल इनफील्ड' नामक नई बन्दूक को सेना के व्यवहार के लिए प्रचलित किया। इस बन्दूक में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था और इन कारतूस को प्रयोग करने से पूर्व दोनों सिरो को दाँत से काटना होता था।⁶⁹ इन कारतूसों के विषय में सेना में यह अफवाह फैल गयी कि इनमें गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। इससे हिन्दुओं और मुसलमानों में क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी और धर्म की रक्षा के नाम पर दोनों समुदाय एकजुट हुए।

अंग्रेजों ने अपनी अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित सेना और संचार तथा यातायात सुविधाओं की सहायता से अत्यधिक दमन का चक्र चलाते हुए 1857 के विद्रोह को विफल कर दिया और अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे केवल सिपाही विद्रोह बताया। सिपाही विद्रोह के साथ सहयोग करके कुछ राज्यों ने इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की। लेकिन अधिकांश भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बतलाया है। विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण विद्रोह का

समयपूर्व प्रारम्भ होना, विद्रोही सैनिकों में अनुशासन का सर्वथा अभाव, अखिल भारतीय नेतृत्व का अभाव व नेताओं में तालमेल की कमी थे।

1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तनकारी घटना थी। यद्यपि यह विद्रोह असफल रहा, किन्तु इसके परिणाम अभूतपूर्व, व्यापक तथा स्थायी सिद्ध हुए। डॉ० मजूमदार के शब्दों में, "1857 का महान विस्फोट भारतीय शासन के स्वरूप और देश के भावी विकास में मौलिक परिवर्तन लाया।" इस विद्रोह का महत्त्वपूर्ण परिणाम था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जिसकी उद्घोषणा 1 नवम्बर, 1858 को इलाहाबाद में लार्ड कैनिंग द्वारा की गई थी। महारानी विक्टोरिया ने इस घोषणा पत्र में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे शाही ताज (क्राउन) के अन्तर्गत लाये जाने की घोषणा की। अब गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। यद्यपि इस घोषणा-पत्र को भारतीय स्वतंत्रता का मेग्नाकार्टा कहा गया है तथापि इस घोषणा से भारतीय जनजीवन को उन्नत करने में कोई लाभ न हुआ, बल्कि व्यवहार में सरकार की नीति आक्रामक, हिंसात्मक, तर्क विरोधी और पक्षपातपूर्ण रही।

सन्दर्भ:-

1. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 192, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
2. पूर्वोक्त, पृष्ठ 193
3. पूर्वोक्त, पृष्ठ 193
4. पूर्वोक्त, पृष्ठ 202
5. ग़ोवर, बी० एल०, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई० से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 99, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली-55, वर्ष 2006
6. पूर्वोक्त
7. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 203, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
8. पूर्वोक्त
9. ग़ोवर, बी० एल०, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई० से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 99, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली-55, वर्ष 2006
10. मिश्र, डॉ० जगन्नाथ, आधुनिक भारत का इतिहास (1707 से 1947 तक), पृष्ठ 169, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान (हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग), लखनऊ, तृतीय संस्करण वर्ष 1983
11. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 203, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
12. पूर्वोक्त
13. ग़ोवर, बी० एल०, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई० से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 100, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली-55, वर्ष 2006
14. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 204, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
15. पूर्वोक्त
16. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 200, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015

17. पूर्वोक्त
18. पाण्डेय, प्रो० श्रीनेत्र, आधुनिक भारत का इतिहास (1757 ई० से 1857 ई० तक), पृष्ठ 227, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, वर्ष 1985
19. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 200, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
20. पूर्वोक्त
21. पूर्वोक्त
22. ग्रोवर, बी० एल०, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई० से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 100, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली-55, वर्ष 2006
23. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 201, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
24. पूर्वोक्त, पृष्ठ 202
25. पूर्वोक्त
26. ग्रोवर, बी० एल०, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई० से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 83, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली-55, वर्ष 2006
27. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 214, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
28. पूर्वोक्त, पृष्ठ 215
29. भटनागर, शरद्, न्यू कोर्स उत्तराखण्ड इतिहास, पृष्ठ 145, चित्रा प्रकाशन प्रा० लि० मेरठ
30. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 215, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
31. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास-एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740-1964), पृष्ठ 39, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
32. ग्रोवर, बी० एल०, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई० से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 165, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली-55, वर्ष 2006
33. भटनागर, शरद्, न्यू कोर्स उत्तराखण्ड इतिहास, पृष्ठ 154, चित्रा प्रकाशन प्रा० लि० मेरठ

34. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 211, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
35. भटनागर, शरद्, न्यू कोर्स उत्तराखण्ड इतिहास, पृष्ठ 154, चित्रा प्रकाशन प्रा० लि० मेरठ
36. ग्रोवर, बी० एल०, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई० से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 169, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली-55, वर्ष 2006
37. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 213, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
38. भटनागर, शरद्, न्यू कोर्स उत्तराखण्ड इतिहास, पृष्ठ 155, चित्रा प्रकाशन प्रा० लि० मेरठ
39. ग्रोवर, बी० एल०, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई० से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 254, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली-55, वर्ष 2006
40. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास-एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740-1964), पृष्ठ 52, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
41. ग्रोवर, बी० एल०, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई० से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 254, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली-55, वर्ष 2006
42. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास-एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740-1964), पृष्ठ 53, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
43. ग्रोवर, बी० एल०, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई० से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 256, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली-55, वर्ष 2006
44. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 216, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
45. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास-एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740-1964), पृष्ठ 59, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
46. www.iasplanner.com/civilservices

47. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास—एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740—1964), पृष्ठ 59, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
48. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 217, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
49. www.historydiscussion.net/
50. www.yourarticlelibrary.com
51. <https://en.wikipedia.org>
52. www.indianetzone.com
53. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 218, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
54. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास—एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740—1964), पृष्ठ 61, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
55. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 218, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
56. पूर्वोक्त
57. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास—एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740—1964), पृष्ठ 62, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
58. www.biography.com
59. www.thebrahmosamaj.net
60. www.thenewworldencyclopedia.org
61. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास—एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740—1964), पृष्ठ 62, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
62. www.vandemataram.com
63. www.thebrahmosamaj.net
64. www.thefamouspeople.com
65. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास—एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740—1964), पृष्ठ 64, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007

66. ग़ोवर, बी० एल०, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई० से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 183, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली-55, वर्ष 2006
67. पाण्डेय, प्र० श्रीनेत्र, आधुनिक भारत का इतिहास (1757 ई० से 1857 ई० तक), पृष्ठ 595, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद-1, वर्ष 1985
68. www.nios.ac.in
69. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास-एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740-1964), पृष्ठ 104, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007

श्री मालवीय जी से पूर्व व श्री मालवीय जी के समय
के भारत की स्थिति (१७६४ से १९४६ ई० तक)

ब) श्री मालवीय जी से पूर्व का भारत (१८६१ से १९४६ तक):-

मालवीय जी का जीवन और उनकी सेवाएँ भारत की प्रगति के एक महत्त्वपूर्ण युग की कहानी है। सन् 1861 ई० में मालवीयजी ने प्रयाग में जन्म लिया और इसी दौरान ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता अक्षुण्य बनाये रखने के लिए सेना के बहुत से विभागों में भारतीयों की भरती बन्द कर दी गयी। भारत की सेना में ब्रिटिश सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया तथा भारतीय सैनिकों को धर्म, जाति और क्षेत्र के आधार पर इस तरह विभिन्न कम्पनियों में विभाजित कर दिया गया कि सैनिकों में राष्ट्रीय भावना जागृत तथा पुष्ट न हो सके। कानून बनाने के लिए विधान कौंसिलों की व्यवस्था अवश्य की गयी, पर उन पर नौकरशाही की निरंकुशता पहले से भी अधिक कर दी गयी।

अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में अंग्रेजी शिक्षा, संस्कृति व प्रशासकीय नीतियों के फलस्वरूप भारतीय समाज में एक नए शिक्षित समाज का उदय हुआ। इसी के साथ उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में नई राजनीतिक चेतना पल्लवित हुई जिसने सुगठित राष्ट्रीय आन्दोलन को जन्म दिया। अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध राजनीतिक रूप से गठित होना स्वयं में एक नवीन नवीनता थी। ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था की कि भारतीय न्यायाधीशों की अदालतों में यूरोपीय लोगों के मुकदमों में भी पेश किए जा सकें। 1883 ई० में एक बिल तैयार किया गया कि भारतीय जज भी अंग्रेजों के मुकदमों का फैसला कर सकते हैं। इससे पूर्व भारत में यूरोपीय लोगों के मुकदमों का निर्णय यूरोपीय जज द्वारा ही किया जाता था। इस बिल के विरोध में भारत में रह रहे यूरोपियनों ने 'यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन' नामक संस्था गठित कर आन्दोलन किया। इस तरह के आन्दोलन यूरोप के लिए सामान्य थे किन्तु भारत के लिए यह सर्वथा नया था। सरकार को अंततः इस बिल का रौध करने वालों के सामने झुकना पड़ा।¹

इस आन्दोलन की सफलता ने भारतीयों को राजनीति आन्दोलन की शक्ति का अनुभव प्रदान किया। उन्हें एहसास हुआ कि लोकमत की संगठित शक्ति की उपेक्षा करना सरकार के लिए सम्भव नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इस अनुभूति का परिणाम शामिल था।

कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसम्बर 1885 ई० को व्योमेश चन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ।² अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना ए० ओ० ह्यूम नामक सेवा-निवृत्त ब्रिटिश अधिकारी द्वारा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस

की स्थापना ए० ओ० ह्यूम नामक सेवा-निवृत्त ब्रिटिश अधिकारी द्वारा की गई। कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना तत्कालीन वायराय लॉर्ड डफरिन की मौन सहमति से हुई थी। अंग्रेजी शासन की दृष्टि से कांग्रेस एक 'सुरक्षा कपाट' या 'सेफ्टी वाल्व' के रूप में की गई थी जो भारतीयों में बढ़ रहे राजनीतिक असंतोष से ब्रिटिश शासन को सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन की गई थी। कांग्रेस तत्कालीन शिक्षित भारतीयों की राष्ट्रवादी चेतना के संघनित होने का परिणाम थी।

कांग्रेस की उत्पत्ति उस काल की राजनीतिक गतिविधियों की पुष्टभूमि में एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक थी। इसके द्वारा कुछ सीमित लक्ष्यों की पूरा किया गया जैसे- भारत के विभिन्न प्रान्तों के राजनीतिक कार्यकलापों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास, राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहन, सार्वजनिक माँगों को सूत्रबद्ध करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना तथा देश में जनमत को प्रशिक्षित एवं संगठित करना आदि। इसके बाद यह संगठन अखिल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का वाहक बन गया और राष्ट्रीय आन्दोलनों का नेतृत्व संभाल लिया।

कांग्रेस का दूसरा चरण अतिवादियों का था जिसका काल 1905-1919 तक था। इस दल को पुराने उदारवादियों की तुलना में उग्रवादी कहते हैं।³

1905 की एक महत्वपूर्ण घटना बंगाल का विभाजन है, जो लार्ड कर्जन का विचार था। लार्ड कर्जन का तर्क था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रान्त है और शासन की सुविधा के लिए उसका विभाजन आवश्यक है। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। कर्जन के इस निर्णय की सभी संबद्ध पक्षों ने आलोचना की।⁴ विभाजन के समय बंगाल की

जनसंख्या न करोड़ 85 लाख थी।⁵ कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण बताया परन्तु वास्तविक कारण राजनीतिक था। उस समय बंगाल राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख केन्द्र था जिसे कुचलने के लिए कर्जन ने बंगाल विभाजन की योजना बनाई।

बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के हॉल में एक ऐतिहासिक सभा में स्वदेशी आन्दोलन की विधिवत् घोषणा की गई। लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियाँ बाँधी। घरों में चूल्हा नहीं जला। लोगों ने उपवास रखा तथा बहिष्कार की नीति को प्रथम बार अपनाया। इस आन्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसने आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति का नारा दिया। बंगाल का विभाजन कर कर्जन जिस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता था वह नहीं हो सका। इसके विरोध में एक सुसंगठित राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्म हुआ और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया।

ब्रिटिश अधिकारियों की फूट डालने की नीति के तहत 1906 ई0 लॉर्ड मिण्टो के इशारे पर मुसलमानों के एक शिष्टमण्डल ने आगा खॉ के नेतृत्व में शिमला में वायसराय से भेंट की और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मण्डल की मांग की। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 30 दिसम्बर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई।

1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में मतभेद का जन्म हुआ तथा इसके परिणामस्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम व गरम दल में विभाजित हो गयी। नरम दल वाले उदारवादी व गरम दल वाले उग्रवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस उग्र विचारधारा वाले अनुयायियों ने क्रांतिकारी आन्दोलन का प्रसार किया। बंगाल में वारीन्द्र कुमार घोष व

भूपेन्द्र दत्त ने इसे फैलाने में विशेष योगदान दिया— 1906 में युगान्तर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ कराया और 1907 में अनुशीलन समिति का गठन किया।⁶ प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने का असफल प्रयास जिसके उपरान्त प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फाँसी दे दी गयी, इस घटना का भारतीय युवकों पर गहरा प्रभाव पड़ा।

पंजाब में अजित सिंह, लाला हरदयाल, भाई परमानंद और बालमुकुंद ने क्रांतिकारियों को संगठित किया तथा 1912 ई० में रास बिहारी बोस ने हार्डिंग पर गोली चलाई। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आन्दोलन को उभारने का श्रेय तिलक के पत्र 'केसरी' को जाता है। 1897 ई० में प्लेग कमिश्नर रैंड एण्ड एमहर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा इसके लिए दामादर चापकर को मृत्यु दण्ड दिया गया। इन क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने कई दमनकारी कानून बनाये और उन्हें कठोरता से लागू किया।

बाल गंगाधर तिलक का जन्म में महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक स्थान पर उच्च ब्राह्मण में हुआ था।⁷ 1879 में इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। संस्कृत, अंग्रेजी और मराठी भाषा पर उनका बड़ा अच्छा अधिकार था। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उन्होंने अंग्रेजी में 'मराठा' और मराठी में 'केसरी' नामक समाचार पत्र निकाला। भारतीय राजनीति में उग्र राष्ट्रवादी भावना को जन्म देने को श्रेय तिलक को है। उनका कहना था 'स्वतन्त्रता अपने आप ही नहीं आयेगी, बल्कि अंग्रेजों से संघर्ष द्वारा छीननी पड़ेगी।'⁸ तिलक ने राष्ट्रीय आन्दोलन को जन-आन्दोलन में संगठित कर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष का श्रीगणेश किया। इसी कारण वे 'भारतीय अशान्ति के जनक' कहलाये।

तिलक भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के समय में कई बार जेल गये। जेल से मुक्त होने पर एनी बेसेण्ट के प्रयासों से तिलक के उग्रवादी दल तथा उदारवादियों के बीच एकता स्थापित हुई। 1916 ई. के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों ने संयुक्त रूप से भारत के लिए स्वायत्त शासन की मांग की। 1916 ई. में तिलक ने एनी बेसेण्ट के सहयोग से होमरूल आन्दोलन चलाया।

लाल-बाल-पाल की तिकड़ी⁹ में प्रमुख लाला लाजपत राय थे। ये शेर-ए-पंजाब के नाम से भी मशहूर थे। इनका जन्म वर्ष 1865 में फिरोजपुर¹⁰ (पंजाब) के ढूँडके नामक गाँव में हुआ था। ये प्राचीन विद्या, धर्म और संस्कृति के दर्शन से प्रभावित थे। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने प्रथम बार भाषण दिया। तिलक के समान ही वे उग्र राष्ट्रवादिता के हिमायती थे। तिलक और विपिन चन्द्र पाल के साथ इन्होंने कांग्रेस की शान्तिपूर्ण नीतियों का विरोध किया। 1928 ई. में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उन पर की मार पड़ी, जिसके कारण 17 नवम्बर 1928 को उनका देहान्त हो गया।¹¹

विपिन चन्द्र पाल का जन्म आसाम के सिलहट जिले में हुआ था। वे विदेशी शासन को अभिशाप मानते थे। वे बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय और उनके प्रमुख पत्र 'बंग दर्शन' से भी बहुत प्रभावित थे। विपिन चन्द्र पाल ने 'न्यू इण्डिया' नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला।¹² 1906 ई0 में उन्होंने 'वन्देमातरम्' नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। 1932 ई0 में इस महान् उग्रवादी नेता की मृत्यु हो गयी।¹³

भारतीय समाचार-पत्रों के विकास में 1905 ई. के बंगाल विभाजन का काफी योगदान है।¹⁴ इस घटना का समाचार-पत्रों ने काफी विरोध किया। सरकार और समाचार-पत्रों में स्पष्ट संघर्ष आरम्भ हुआ।

समाचार पत्रों ने न केवल राष्ट्रीय आन्दोलन की विभिन्न घटनाओं को प्रेरित किया बल्कि स्वयं भी राष्ट्रीय आन्दोलन की घटनाओं से प्रेरणा ली। अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना जाग्रत करने तथा अंग्रेजी शोषण की व्यापक चर्चा करने में प्रेस का विशेष योगदान रहा।

समाचार पत्रों को प्रतिबन्धित करने के लिए बनाये गये अधिनियमों में '1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट' सबसे अधिक खतरनाक था।¹⁵ इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बांड पेपर पर हस्ताक्षर करवा लें कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो।¹⁶ वायसराय कर्जन द्वारा 1908 में 'न्यूज पेपर एक्ट' पारित किया गया। 'इण्डियन प्रेस एक्ट 1910' द्वारा यह व्यवस्था दी गयी कि प्रकाशक से कम से कम 500 रू0 तथा अधिक से अधिक 2000 रू0 पंजीकरण जमानत लेने का स्थानीय सरकार को अधिकार होगा। लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड एडमस, कैंनिंग, लिटन आदि को भारतीय प्रेस की स्वतन्त्रता का विरोधी माना जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, बेंटिक, मेटकॉफ, मैकाले तथा रिपन को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है।¹⁷

इस काल में शिक्षा की स्थिति तथा परिवर्तनों पर चर्चा करें तो पहला कमीशन हंटर कमीशन¹⁸ आया। रिपन ने 1854 ई. के बुड्स डिस्पैच के कार्यों के मूल्यांकन करने के लिए डब्ल्यू. हंटर की अध्यक्षता¹⁸ में एक कमीशन नियुक्त किया। इस कमीशन में अध्यक्ष के अतिरिक्त 20 सदस्य थे, जिनमें 8 भारतीय थे। इस कमीशन का मुख्य लक्ष्य ऐसे उपाय सुझाना था जिससे प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार अधिक से अधिक हो सके।¹⁹ इस कमीशन ने सन् 1883 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व विभिन्न प्रांतों का दौरा किया। कमीशन ने अनेक सिफारिशों की— सरकार द्वारा

उच्च शिक्षा संस्थाओं को प्रबंधन के क्षेत्र में स्वायत्ता प्रदान किया जाना, कॉलेजों की सामान्य वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित किया जाना, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा पर जोर, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा हो, स्त्री शिक्षा पर जोर एवं निजी सहभागिता व प्रयासों पर जोर।

रैले कमीशन अथवा विश्वविद्यालय कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सन् 1902 में प्रस्तुत की।²⁰ इस रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों को शोध व अध्ययन पर अधिक बल देने को कहा गया।²¹ साथ ही भविष्य में उच्च शिक्षा से सम्बन्धित कॉलेजों को मान्यता न देने, विश्वविद्यालयों की विभिन्न संस्थाओं में सरकारी प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने, विधि शिक्षा को बढ़ावा देने के सुझाव दिए।²²

तदुपरान्त 1913 में शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक क्षेत्र निर्धारित किया जाए।²³

1917 के सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक कमीशन की गयी जिसे सैडलर कमीशन अथवा कलकत्ता विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन ने अपना ध्यान न केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय तक सीमित रखा बल्कि माध्यमिक और स्नाकोत्तर शिक्षा के पक्ष पर भी बल दिया। इस कमीशन ने इण्टरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय के नियंत्रण से पृथक करने का सुझाव दिया। साथ ही महिला शिक्षा व व्यावहारिक शिक्षा के प्रसार पर भी बल दिया।²⁴

इसके पश्चात् सर फिलिप हार्टिंग की अध्यक्षता में शिक्षा के विकास के सन्दर्भ में रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गयी। इस समिति ने प्राथमिक शिक्षा के युक्तियुक्त प्रसार पर बल दिया, उत्तर

माध्यमिक व उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए नियमों को कठोर बनाये जाने की पैरवी की।²⁵

सन् 1937-38 में शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गयी। यह योजना अक्टूबर 1937 में कांग्रेस के राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में नियुक्त की गयी थी। समिति का गठन 'कार्य के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने' के उद्देश्य से किया गया था। देश को आत्मनिर्भरता एवं स्वतन्त्रता की ओर से बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना में निम्न तत्व सम्मिलित किये गये थे— प्राथमिक शिक्षा (प्रथम सात वर्ष) अनिवार्य व निःशुल्क बनाया जाना तथा मातृभाषा में दिया जाना²⁶ तदुपरान्त कक्षा 2 से 7 की शिक्षा का माध्यम हिन्दी, कक्षा 8 के बाद की शिक्षा में ही अंग्रेजी को पढ़ाया जाए। पाठ्यक्रम में दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए।²⁷

इसके बाद केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने सन् 1944 में शिक्षा की सार्जेण्ट योजना प्रस्तुत की जिसमें तकनीकी, वाणिज्यिक व कला विषयक शिक्षा की व्यवस्था किया जाना, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा पर बल दिया जाना, 6-11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के प्रबन्ध किये जाने के सुझाव सम्मिलित थे।²⁸

इस समय के समाज सुधारकों में विवेकानन्द प्रमुख थे, जो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ये कलकत्ता में गंगा के किनारे स्थित दक्षिणेश्वर में काली महादेवी के अनन्य भक्त थे। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने विवेकानन्द के बारे में लिखा है, "यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानन्द के बारे में पढ़ना चाहिए।"

सिस्टर निवेदिता का मत है "विवेकानन्द के विचारों को तीन स्रोत थे— शास्त्र, गुरु और भारत माता। शास्त्रों का उन्होंने स्वयं अध्ययन

किया तथा अपने गुरु के चरणों के चरणों में बैठकर शंकाओं का निवारण भी किया।²⁹

विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी, 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेन्द्र दत्त था।³⁰ विवेकानन्द ने 31 मई, 1893 को शिकागो (अमेरिका) में विश्व धर्म सम्मेलन में हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया और अपने ऐतिहासिक भाषणों से उन्होंने पाश्चात्य राष्ट्रों की महानता के व्यापक विचार को जड़ से हिला दिया।³¹ उन्होंने वहां सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के समक्ष वेदान्त दर्शन की सर्वोपरिता को भली-भांति प्रतिपादित और प्रतिष्ठित किया। विवेकानन्द का मानना था कि मोक्ष सन्यास से नहीं बल्कि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त होता है। उनका तर्क था कि शिक्षा सामाजिक बुराइयों को दूर करने का सबसे सशक्त माध्यम है।

इसी समय स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल, 1875 को मुम्बई में की।³² इसमें 28 नियमों का समावेश किया गया। तत्पश्चात् 1877 में लाहौर में भी आर्य समाज की स्थापना की गयी। दयानन्द ने 'सत्यार्थ प्रकाश' के माध्यम से जहां वेदों की महत्ता को संसार के सम्मुख रखा, वहां वाममार्ग, देवी भागवत, मूर्ति पूजा तथा बौद्ध, जैन, ईसाई और मुस्लिम आदि सम्प्रदायों एवं मतों के अन्धविश्वासों और रूढ़ियों का खण्डन किया। दयानन्द ने राष्ट्रीय जागरण के क्षेत्र में स्वभाषा, स्वधर्म और स्वराज्य पर बल दिया। दयानन्द ने विदेशी शासन की कटु आलोचना की और इसका कारण आपस में फूट, अशिक्षा, बालविवाह, वेदों का कुप्रचार और देशभक्ति का अभाव बताया। सत्यार्थ प्रकाश में वे लिखते हैं कि "कोई कितना भी कहे, परन्तु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है।.....

विदेशी राज्य चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन वह सुखदायक नहीं हो सकता।”

महाराष्ट्र में हिन्दू समाज और धर्म में सुधार लाने का सबसे अधिक सफल प्रयास 'प्रार्थना समाज' ने किया, जिसकी स्थापना डॉ. आत्माराम पाण्डुरंग ने 1867 में मुम्बई में की थी।³³ आत्माराम पाण्डुरंग के प्रेरणा स्रोत केशवचन्द्र सेन थे। प्रार्थना समाज का विकास ब्रह्म समाज की छत्रछाया में हुआ था। इसकी सदस्यता के लिए मूर्तिपूजा और जातिप्रथा को पूर्णतया अस्वीकार करना आवश्यक न था। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद को प्रश्रय देना तथा धर्म की कुरीतियों, रूढ़ियों और पुरोहितों के आधिपत्य से मुक्त कराना था। प्रार्थना समाज ने जाति-व्यवस्था एवं अस्पृश्यता की निन्दा की, अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया, विधवा विवाह को जायज ठहराया, स्त्रीशिक्षा, दलितों, अछूतों और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने की वकालत की।

भारत के राजनीतिक पुनर्जागरण के विकास एवं प्रगति में एक ऐसे धार्मिक आन्दोलन ने योगदान दिया, जिसका जन्म भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में हुआ था। यह आन्दोलन थियोसोफिकल आन्दोलन था जो आर्य समाज और अन्य संस्थाओं से अधिक परिवर्तनवादी और अधिक रहस्यवादी था। इस सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑल्कॉट ने 1875 ई. में न्यूयॉर्क में की। भारत में 1882 में मद्रास के समीप अड्यार में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय खोला गया। भारत में इस संस्था को विकसित करने का प्रयास ऐनी बेसेन्ट नामक एक आयरिश महिला ने किया।

इसके अलावा इस समय भारत में सेवा सदन, देव समाज, धर्म सभा, भारत धर्ममहामण्डल, राधास्वामी आन्दोलन आदि भी अस्तित्व में आये।

मुस्लिम समाज सुधार आन्दोलन में सर सैयद अहमद खाँ द्वारा स्थापित अलीगढ़ आन्दोलन प्रमुख था। यह आन्दोलन ब्रिटिश सरकार तथा अंग्रेजी शिक्षा का सहयोग पाकर मुस्लिम समाज में सुधार व जागरण लाने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया था। सर सैयद को आधुनिक भारत में 'मुसलमानों का राजनीतिक पथ-प्रदर्शक' कहा जाता है। 1864 में सैयद अहमद ने गाजीपुर में एक 'साइन्टिफिक सोसायटी' की स्थापना की।³⁴ 1875 में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की, जिसे बाद में 'मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियेंटल कॉलेज' के रूप में परिणत हुआ। सैयद अहमद खाँ का मुख्य लक्ष्य मुसलमानों के कुलीन वर्ग को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालकर, पाश्चात्य शिक्षा के प्रति आकर्षित कर, उनका सामाजिक और राजनैतिक उत्थान करना था। अपने विचारों की व्याख्या के लिए उन्होंने 1870 ई. में उर्दू पत्रिका 'तहजीब-उल-अखलाक' का प्रकाशन किया।

इसके अतिरिक्त बहावी आन्दोलन, अहमदिया आन्दोलन, देवबन्द आन्दोलन व अहरार आन्दोलन आदि मुस्लिम समाज में सुधार के लिए भारत के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में चलाये गये थे।

इनके आन्दोलनों के साथ-साथ ही पारसी, सिक्ख व दलित-जातीय आन्दोलन भी चलाये गये।

ये धार्मिक-सामाजिक सुधार आन्दोलन वस्तुतः पुरातन और नवीनता, प्राचीन आस्था और नव बुद्धिवाद, परम्परा और आधुनिकता, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद, राष्ट्रीयता व साम्प्रदायिकता के विचारों से ओत-प्रोत थे, फिर भी ये भारतीय समाज और चिन्तन को पूर्णतः नहीं

बदल सके। वास्तविक अर्थों में इन आन्दोलनों ने राष्ट्रीयता की जड़ों को सींचा, जिसका पौधा अंकुरित, पुष्पित और पल्लवित होकर देश की नई पीढ़ी के सामने आया।

भारतीय मंच पर गाँधीजी का आगमन उस समय हुआ जब उदारपंथियों का संवैधानिक उदारवाद तथा गरमपंथियों की आक्रामक राजनीति, जनसाधारण को नियमित नेतृत्व देने में असफल हो चुकी थी। जिन परिस्थितियों ने गाँधीजी के राजनीतिक उदय में योगदान दिया उनमें प्रमुख थी— नेतृत्व शून्यता, जो पूर्ववर्ती प्रमुख नेताओं जैसे—मेहता, गोखले व तिलक के निधन के कारण उत्पन्न हुई थी।³⁵ संक्षेप में, उनके राजनीतिक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है—

1915— महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे।

1917— चम्पारन आन्दोलन।

1918— खेड़ा (गुजरात) में किसान आन्दोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आन्दोलन।

1919— रौलेट सत्याग्रह

1919— जालियांवाला बाग हत्याकाण्ड

1921— असहयोग आन्दोलन और खिलाफत आन्दोलन

1928— बारदोली में किसान आन्दोलन

1929—लाहौर अधिवेशन में 'पूर्ण स्वराज्य' को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया।

1930— सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू, दाण्डी यात्रा

1931— गांधी—इर्विन समझौता, दूसरा गोलमेज सम्मेलन

1935— गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक सरकार के गठन का आश्वासन

1939—कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों का त्यागपत्र

1942—भारत छोड़ो आन्दोलन शुरू

1946—महात्मा गांधी में साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली तथा अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा किया।³⁶

इस अवधि में भारत के संवैधानिक विकास की बात है—सबसे पहले 1861 में भारतीय कौन्सिल अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को अपनी कौन्सिल में कम-से-कम 6 और अधिक-से-अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया।³⁷ इन सदस्यों में कम-से-कम आधे गैर सरकारी सदस्य होना अनिवार्य था तथा उनका कार्यकाल 2 वर्ष था। गवर्नर जनरल को नये प्रान्तों का निर्माण करने तथा लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया।

इसके पश्चात् 1892 का भारतीय कौन्सिल अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान परिषदों के मनोनीत किये गये सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गयी। वायसराय को कम-से-कम 10 और अधिक-से-अधिक 16 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया। इनमें कम-से-कम 10 गैर-सरकारी होना आवश्यक था। सभी विधान परिषदों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। किन्तु अभी उन्हें मत देने का अधिकार नहीं दिया गया।

1909 के भारतीय कौन्सिल अधिनियम को मार्ले-मिन्टों अधिनियम भी कहते हैं। उस समय मार्ले भारत सचिव थे। इस अधिनियम द्वारा केन्द्रीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गयी। मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया तथ मुस्लिम

सदस्यों का चुनाव मुसलमान ही कर सकते थे। राजनैतिक अपराधी चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिये गये परन्तु सरकार के सर्वोच्च अधिकारी द्वारा उन्हें यह अधिकार प्रदान किया जा सकता था।

1919 के अधिनियम का भारत के वैधानिक विकास में बहुत महत्व है। इस अधिनियम के द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना की गयी। इस अधिनियम द्वारा एक सदन वाले केन्द्रीय मण्डल के स्थान पर दो सदन वाले केन्द्रीय विधानमण्डल की स्थापना की गयी। दो सदनों के नाम क्रमशः केन्द्रीय विधान सभा तथा राज्य परिषद् रखे गये। केन्द्रीय विधान सभा का कार्यकाल 3 वर्ष³⁸ तथा राज्य परिषद् का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस अधिनियम द्वारा प्रान्तों में द्वैध शासन की स्थापना की गयी। इसके अनुसार प्रान्तीय सरकार के विषयों को दो भागों— सुरक्षित तथा हस्तान्तरित में कर दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार सभी विषयों को दो सूचियों—केन्द्रीय एवं प्रान्तीय में विभक्त किया गया।

1935 के अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गयी तथा प्रान्तों को स्वायत्त शासन प्रदान किया गये³⁹। केन्द्र में द्वैध शासन की स्थापना की गयी। भारतीय कौन्सिल की समाप्ति, केन्द्रीय विधान मण्डल का संगठन, संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना, प्रान्तों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गयी। मताधिकार का विस्तार 16 प्रतिशत जनता तक कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा विषयों को संघीय सूची, प्रान्तीय सूची एवं संयुक्त सूची में विभक्त किया गया।

1937 के प्रान्तीय चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रान्तों में बहुमत मिला और 7 में कांग्रेस ने सरकार गठित की। मुस्लिम लीग का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग कांग्रेस को साथ मिलकर

सरकार बनाने की इच्छुक थी। यहां कांग्रेस में पूर्ण बहुमत प्राप्त होने के कारण उसने मुस्लिम लीग की मांग को अस्वीकार कर दिया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे लीग के सदस्यों के दिल में यह बात घर कर गयी थी कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पायेगी, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं।⁴⁰ पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे-धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उप-महाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वायत्ता की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। कुछ लोग पाकिस्तान की गठन की मांग उर्दू कवि इकबाल से शुरू मानते हैं। उन्होंने 1930 के लीग के अधिवेशन में पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता पर जोर दिया था। मगर उस भाषण में इकबाल एक नये देश के उदय पर नहीं वरन् पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम इलाकों को एकीकृत कर भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना की बात कर रहे थे। 1945 में पुनः वार्ताएं शुरू हुईं तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए कि एक केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा बनायी जाएगी जिसमें सशस्त्र सेनाओं के सेनापति और वायसराय के सिवाय सभी सदस्य भारतीय होंगे। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। अपने-अपने दृष्टिकोण को सही मानते हुए कांग्रेस और लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान किया। उसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गयी। उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी थी। 1946 के भीषण नरसंहार ने तो उनके हृदय को गहरा आघात पहुंचाया। इस साम्प्रदायिक नरसंहार ने उनके एकता के स्वप्न को धराशायी कर दिया। देश की एकता, स्वतन्त्रता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जीवन भर संघर्ष करने वाले महामना

स्वतन्त्रता मिलने से पूर्व ही इस संसार से विदा हो गये। 11 नवम्बर 1946 को उनका निधन हो गया और 12 नवम्बर को 1946 मणिकार्णिका घाट पर मंत्रोच्चार के बीच उनका अंतिम संस्कार किया गया।⁴¹

Estelab

सन्दर्भ:-

1. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 281, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
2. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास—एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740—1964), पृष्ठ 125, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
3. ग़ोवर, बी० एल०, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई० से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 303, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली—55, वर्ष 2006
4. मिश्र, डॉ० जगन्नाथ, आधुनिक भारत का इतिहास (1707 से 1947 तक), पृष्ठ 565, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान (हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग), लखनऊ, तृतीय संस्करण वर्ष 1983
5. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 293, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
6. पूर्वोक्त, पृष्ठ 296
7. www.culturalindia.net>Leaders
8. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास—एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740—1964), पृष्ठ 132, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
9. <https://www.quora.com>
10. www.liveindia.com
11. www.freeindia.org
12. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास—एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740—1964), पृष्ठ 132, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
13. पूर्वोक्त
14. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 260, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
15. पूर्वोक्त, पृष्ठ 261
16. www.importantindia.com/11333/brief-note-on-vernacular-press-act/
17. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 262, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015

18. Sankdher, B.M., Education system from William Hunter's commission to 1888, Page lx, Deep & Deep publications pvt. ltd New Delhi, Year 1999
19. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 255, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
20. पूर्वोक्त, पृष्ठ 256
21. <https://archive.org> [Report of the Indian Universities Commission 1902]
22. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 256, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
23. पूर्वोक्त
24. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास—एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740—1964), पृष्ठ 56, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
25. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 257, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
26. ग्रोवर, बी० एल०, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई० से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 260, एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली—55, वर्ष 2006
27. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 257—258, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
28. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास—एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740—1964), पृष्ठ 57, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
29. मिश्र, डॉ० जगन्नाथ, आधुनिक भारत का इतिहास (1707 से 1947 तक), पृष्ठ 460, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान (हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रभाग), लखनऊ, तृतीय संस्करण वर्ष 1983
30. www.india-intro.com>historical-figures
31. isha.sadhguru.org
32. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास—एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740—1964), पृष्ठ 68, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
33. www.philtar.ac.uk>hindu>devot>prarth

34. जैन, डॉ. हुकम चन्द एवं विजय, शिवचरण, आधुनिक भारत का इतिहास—एक परिचयात्मक अनुशीलन (1740—1964), पृष्ठ 73, नेशनल पब्लिशिंग हाउस जयपुर, प्रथम संस्करण वर्ष 2007
35. सिंह, अजातशत्रु, भारत का इतिहास, पृष्ठ 300, यूनीकॉर्न बुक्स नई दिल्ली, वर्ष 2015
36. भटनागर, शरद, न्यू कोर्स उत्तराखण्ड इतिहास, पृष्ठ 191, चित्रा प्रकाशन प्रा0 लि0 मेरठ
37. राना, शिवनारायण सिंह, भारत भूमि का इतिहास, पृष्ठ 331, हिन्दी प्रचारक पब्लिकेशन्स प्रा0 लि0, वाराणसी
38. ग्रोवर, बी0 एल0, अलका मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन (1707 ई0 से वर्तमान समय तक), पृष्ठ 393, एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लि0 नई दिल्ली—55, वर्ष 2006
39. राना, शिवनारायण सिंह, भारत भूमि का इतिहास, पृष्ठ 334, हिन्दी प्रचारक पब्लिकेशन्स प्रा0 लि0, वाराणसी
40. भटनागर, शरद, न्यू कोर्स उत्तराखण्ड इतिहास, पृष्ठ 205, चित्रा प्रकाशन प्रा0 लि0 मेरठ
41. राजस्वी, एम0आई0, पं. मदन मोहन मालवीय, पृष्ठ 94, मनोज पब्लिकेशन्स, वर्ष 2013